आदेश की क्रम सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

(पंचायत रोजगार सेवक) नियुक्ति अपील वाद सं०- 04/2018 त्रिवेणी पासवान बनाम उप विकास आयुक्त, मधेपुरा।

-: आदेश :-

18/12/18

श्री त्रिवेणी पासवान पे० श्री कुलानन्द पासवान, सा० पतौर, पो० पतौर, भाया आनन्दपुर, थाना पतौर रामेश्वर नगर, अशोक पेपर मिल, जिला दरभंगा ने उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-474, दिनांक 27-02-2018 के द्वारा बिहारीगंज के हथिऔंधा पंचायत के मनरेगान्तर्गत योजना सं०-01/16-17, 03/16-17 एवं 05/16-17 में बरते गये अनियमितता में दोषी पाते हुए पंचायत रोजगार सेवक के पद से पदमुक्त कर लिए जाने के खिलाफ सचिव, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 168494, दिनांक 13-11-2013 के द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त मनरेगा कर्मियों के अनुबंध रद्द किए जाने के उपरांत अपीलीय अभ्यावेदन की सुनवाई हेतु दिशा-निर्देश के आलोक में अपील अभ्यावेदन दाखिल किया गया है। अभ्यावेदन के साथ विभागीय पत्र पत्रांक 168494, दिनांक 13-11-2013 की छायाप्रति, वकालतनामा तथा उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक-474, दिनांक 27-02-2018 की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

दिनांक 23-06-2018 को अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का पक्ष सुनकर वाद अंगीकृत किया गया तथा उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया। इस न्यायालय के डी०बी०नं०-332, दिनांक 29-06-2018 के द्वारा मूल अभिलेख एवं पक्ष रखने हेतु डी०बी०नं०-333, दिनांक 29-06-2018 के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के पत्रांक-2342, दिनांक 04-08-2018 के द्वारा अभिलेख की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 10-08-2018 को सुनवाई क्रम में प्रतिवादी की ओर से पक्ष रख रहे विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बहस हेतु समय की मांग किए, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अंतिम रूप से इस मामले पर सुनवाई दिनांक 06-11-2018 को की गई। उभय पक्षों का पक्ष विस्तार से सुना गया। सुनवाई में रखे गए पक्ष इस प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी पंचायत रोजगार सेवक के पद पर बिहारीगंज प्रखंड में वर्ष 2010 में पदस्थापित हुए थे, जिन्हें उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 474, दिनांक 27-02-2018 के द्वारा अनुबंध रद्द कर दिया गया है। अपीलार्थी के द्वारा चलायी जा रही मनरेगा योजनान्तर्गत योजना सं०-01/16-17, 03/16-17 एवं 05/16-17 में अनियमितता पाए जाने का प्रतिवेदन जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया था। जाँच जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा की गई थी। पायी गई अनियमितता के आलोक में इनसे स्पष्टीकरण का जबाव भी दिया गया, परन्तु उससे असंतुष्ट होकर उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के द्वारा इनके अनुबंध को रद्द कर दिया गया है। पारित आदेश वैधानिकता आधारित नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज के द्वारा अभिलेख की मांग करने हेतु कोई पत्र हस्तगत नहीं कराया था, जिसको लेकर इनके विरूद्ध अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। संयुक्त रूप से जाँच में स्थल पर कोई अनियमितता नहीं पायी गई है और न ही किए गए कार्यों के विरूद्ध किसी जन प्रतिनिधियों या ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रकट किया गया है। अपीलार्थी द्वारा योजनाओं का कार्य पूर्ण ईमानदारी से किए हैं। दाखिल आवेदन पत्र पर सम्यक विचार करते हुए अनुबंध रद्द किए जाने संबंधी आदेश को खंडित करते हुए अपीलार्थी को पुर्नबहाल किया जाय।

प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी अपने उपर लगे आरोप को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इनके द्वारा योजनाओं में अनियमितताऐं बरती गई है। जिला पदाधिकारी के स्तर से अधिकृत पदाधिकारियों के द्वारा उपरोक्त तीनों योजनाओं की जाँच की गई थी एवं सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया था। पायी गई अनियमितता के आलोक में अपीलार्थी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया, जिसका संतोषप्रद जबाव नहीं दे सके। अनियमितता के संबंध में बताया गया कि इन तीनों योजनाओं से अभिलेख उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को कराने का निदेश दिया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज के द्वारा अभिलेख मांगे जाने पर अपीलार्थी के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी सूचना तत्क्षण उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को कर दी गई। उच्चाधिकारियों से अभिलेख मांग करने पर तत्क्षण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाना, अपीलार्थी के अनुशासनहीनता को दर्शाता है। योजना सं०-01/2016-17 में मिट्टी भराई एवं सोलिंग कार्य कराया जाना था, जिसमें सोलिंग कार्य करना बांकी पाया गया। उसी प्रकार योजना सं०-03/2016-17 में मिट्टी भराई किया गया, परन्तु सोलिंग कार्य अधूरा पाया गया। साथ ही सोलिंग कार्य पुरानी ईट को मिलाकर किया जा रहा था तथा योजना सं०-05/2016-17 में सोलिंग के साथ पुलिया निर्माण कार्य किया जाना था, जिसमें सोलिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने से संबंधित कोई प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया। इस तरह तीनों योजनाऐं अपूर्ण एवं त्रुटियुक्त पाया गया है। जन उपयोगी योजनाओं के कार्यो में अपीलार्थी के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए वे स्वयं दोषी हैं। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध लिया गया निर्णय बिल्कूल ही प्रावधान के अनुरूप, वैधानिक तथा नियमसंगत है, जिसे बरकरार रखा जाय।

उभय पक्षों को सुनने एवं रखे गए पक्ष के आधार पर अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभागीय प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी से कंडिकावार स्पष्टीकरण पूछा गया है और अपीलार्थी के द्वारा स्पष्टीकरण का जबाव भी दिया गया है। अपीलार्थी अपने जबाव में इस बात को स्वीकार किया है कि तीनों योजनाऐं अपूर्ण है। यह भी स्वीकार किया है कि योजनाऐं पूर्ण नहीं होने के कारण सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराया गया है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज के द्वारा तत्संबंधी अभिलेख 08 बजे रात में मांगी गई थी, जो तत्क्षण संभव नहीं था। इन तीनों आरोप एवं बरती गई अनियमितता की पुष्टि जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा तथा सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अवर प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 394, दिनांक 06-05-2017 से भी होती है। अपीलार्थी से यह पूछे जाने पर कि अभिलेख दूसरे दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज या जाँच पदाधिकारियों के समक्ष क्यों नहीं दिया गया, तो उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके और न ही अभिलेख हस्तगत कराने संबंधी साक्ष्य दाखिल कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह रहे हैं। लक्षित जन उपयोगी योजनाओं को अपूर्ण रखा जाना कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश में कोई तकनीकी दोष परिलक्षित नहीं होता है, जिसे यथावत रखा जाता है। इस निदेश के साथ अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें तथा एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

18/12/18
स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

18/12/18
समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0 बी0 नं0-912/न्या0, मधेपुरा, दिनांक 22/12/2018

प्रतिलिपिः श्री त्रिवेणी पासवान, पे0-श्री कुलानन्द पासवान, सा0-पतौर, पो0-पतौर, भाया आनन्दपुर, थाना-पतौर रामेश्वर नगर, अशोक पेपर मिल, जिला दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषि त।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि मधेपुरा।
18/12/18